अनुदान संख्या 16 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 16 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted -					
मूल	Original	457,66,00				
				691,43,00	677,94,11	- 13,48,89
पूरक	Supplementary	233,77,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,23,49
पूंजीगत :	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted -			31,34,00	23,93,95	- 7,40,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,41,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1621.00			
			1462.55	1434.66	- 27.89
पू.	R.	- 158.45			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	1866.00			
पू.	S.	1.00	34.46	..	-34.46
पू.	R.	-1832.54			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
सिविल पूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	10092.00			
पू.	S.	1.00	10452.56	10375.80	- 76.76
पु.	R.	359.56			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	20000.00			
पू.	S.	23370.00	45000.00	45000.00	..
पु.	R.	1630.00			
मुख्य शीर्ष "3475"	Major Head "3475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	5668.00			
पू.	S.	2.00	5305.14	5007.35	- 297.79
पु.	R.	- 364.86			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	3676.00			
पू.	S.	1.00	3367.40	3405.00	+ 37.60
पु.	R.	- 309.60			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants–in–aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	225.00			
पू.	S.	1.00	70.91	48.91	- 22.00
पु.	R.	- 155.09			

(I) ₹2090.50 लाख रु. का प्रावधान पंद्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1771.50 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "नागरिक पूर्ति" -

(i) "उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना" - ₹177.33 लाख (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) अधूरा प्रस्ताव प्राप्त होने की वजह से मिजोरम को अनुदान जारी न किए जाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(ii) "निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ"- ₹855.00 लाख;

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" -

(i) "बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण"- ₹463.33 लाख (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ii) "वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण"- ₹175.34 लाख (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.34 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीमें - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹100.50 लाख (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान

(I) Provision of ₹2090.50 lakhs remained wholly unutilized under fifteen heads; of these ₹1771.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Civil Supplies"-

(i) "Integrated Project on Consumer Protection" - ₹177.33 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.33 lakh obtained in August, 2010) – due to non-release of grant to Mizoram owing to receipt of incomplete proposal and re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Direction and Administration-Consumer Protection Cell"- ₹855.00 lakhs;

(b) "Other General Economic Services"-

(i) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- ₹463.33 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.33 lakh obtained in August, 2010); and

(ii) "Strengthening of Forward Market Commission"- ₹175.34 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.34 lakh obtained in August, 2010).

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Civil Supplies – Civil Supplies Schemes – Strengthening of Weights & Measures Infrastructure" – ₹100.50 lakhs (including token

सहित) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in August, 2010) – due to non-receipt of sufficient proposals from Union Territory Governments.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग" के अंतर्गत ₹186.34 लाख की बचत (₹1621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, विदेश मंत्रालय से जावक दावे प्राप्त न होने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451"-"Secretariat - Department of Consumer Affairs" - saving of ₹186.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1621.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, non-receipt of outward claims from Ministry of External Affairs and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन" - उपभोक्ता शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण" के अंतर्गत ₹483.46 लाख की बचत (₹585.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3456" – "Direction and Administration - Consumer Education and Training, HRD/Capacity Building"- saving of ₹483.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹585.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years and non-receipt of utilisation certificates.

(IV) मुख्य शीर्ष "3475" - "बाजारों का विनियमन" के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3475" - "Regulation of Markets"- savings occurred under the following heads:-

(का) "वायदा बाजार आयोग" - ₹183.85 लाख की बचत (₹659.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने और कार्यालय को नए परिसरों में स्थानांतरित न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Forward Markets Commission"- saving of ₹183.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹659.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, less tours undertaken and non-shifting of office to new premises.

(खा) "वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण"- ₹658.58 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1576.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त आवास उपलब्ध न होने की वजह से कार्यालय परिसरों को स्थानांतरित न किए जाने, कम दौरे किए जाने और विदेश स्थित भारतीय मिशन से जावक दावे प्राप्त न होने के कारण हुईं ।

(B) "Strengthening of Forward Markets Commission"- saving of ₹658.58 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1576.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2010)) was due to non-shifting of office premises owing to non-availability of suitable accommodation, less tours undertaken and non-receipt of outward claims from Indian Mission Abroad.

(V) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme"- savings occurred under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण"- ₹256.77 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1314.33 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त न होने की वजह से कुछ राज्यों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई ।

(A) "Strengthening of Consumer Disputes Redressal Agencies"- saving of ₹256.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1314.33 lakhs including token supplementary grant of ₹0.33 lakh obtained in August, 2010) was due to non-approval of proposals of some of the States owing to non-receipt of the required documents.

(खा) "उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम" - ₹257.25 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(B) "Consumer Awareness Programme"- saving of ₹257.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ने के लिए आंशिक रूप से (₹2308.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2010, नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹8372.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹2308.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹8372.00 lakhs in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य, भंडारण और भांडागार-खाद्य सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दालों के आयात पर हुई हानि को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता" - ₹1630.00 लाख।

(A) Major Head "2408" - "Food, Storage and Warehousing - Food Subsidy - Subsidy for meeting losses on import of Pulses by PSUs"- ₹1630.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3475" - 'बाटों और मापों का विनियमन - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹450.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹255.02 लाख था।

(B) Major Head "3475" – "Regulation of Weights and Measures – Strengthening of Weights and Measures Infrastructure"- ₹450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹255.02 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601"- केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - नागरिक पूर्ति - नागरिक पूर्ति स्कीम - बाट और माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - ₹228.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹227.03 लाख था।

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" - ₹228.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹227.03 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3456" - "निदेशन और प्रशासन-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं " - ₹820.15 लाख का अधिक व्यय (₹7902.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3456" – "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" - excess of ₹820.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7902.70 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर	Capital Outlay on North				
पूंजीगत परिव्यय	Eastern Areas				
मू.	O.	334.00			
			..	..	..
पु.	R.	- 334.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक	Capital Outlay on Other				
सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	General Economic Services				
मू.	O.	1432.00			
			1226.10	1025.25	- 200.85
पु.	R.	- 205.90			

(I) ₹678.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" -"नागरिक पूर्ति" -

(क) "क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी" -₹162.00 लाख; और

(ख) "राष्ट्रीय परीक्षण गृह" - ₹172.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹678.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Civil Supplies"-

(a) "Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati"- ₹162.00 lakhs; and

(b) "National Test House"- ₹172.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "5475" - "नागरिक पूर्ति - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग"- ₹344.00 लाख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "5475" - "Civil Supplies - National Consumer Dispute Redressal Commission"- ₹344.00 lakhs - due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department.

4. *उपभोक्ता कल्याण निधिः-*

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना 1991 में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन जिस राशि की वापसी विनिर्माताओं को नहीं की जाती है, वह इस निधि में जमा हो जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए। इन नियमों के बाद में संशोधन 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

वर्ष 2010-2011 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

4. *Consumer Welfare Fund:-*

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944(1 of 1944) for utilizing the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2010-2011 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	119,40,00
प्राप्तियां	Receipts	-
अदायगियां	Payments	13,66,02
अंत शेष	Closing Balance	105,73,98